फर्द अहकाम

ओमप्रकाश वगै0 रामप्रसाद

प्रार्थना पत्र संख्या 172/2024 प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.06.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी, निर्णय दिनांक 07.06.2024 का अवलोकन करने व वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि इस न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 138/2024 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2024 में आंशिक संशोधन किया जाकर आदेश दिये जाते है कि उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम गंवार ब्राहम्णान तहसील सांगानेर में प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बरान् 82 व 86 की पत्थरगढी होने तक उक्त खसरा नम्बरान् 685, 90 तथा 82, 86 के बीच की सीमा पर किसी तरह का फेरबदल ना करे। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 10.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
10/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता कालूराम मीणा ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्षान ने बयान किया कि प्रकरण में चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो चुका है/ विवाद का निस्तारण किया जा चुका है अतः इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः ~~आदेश~~ प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर दर्ज नम्बर निकल हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:37:48 IST
Reason: SelfAttested